

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ...डुहावाखरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उपनाम

.....मंजू देवी..... बनाम राजस्थान सरकार.....

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड के डुरुल्ली बाबत अर्जेंट बाप 88

मुकदमा नम्बर :- 99/2022

निर्णय दिनांक :- 01-06-22

वादी की ओर से 01-06-22 की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर आम लाला खीरीलान के खाता सं 30 खं.नं. 105, 86, 99 व खाता सं 178/10 उपनाम डू की जमाबंदी में अंकित गौहनी पत्नी केशराराम के खाते पर मंजू देवी पत्नी केशराराम के नाम पर जमीन की घोषणा की जाती है। तबसेलदार चूरु उपनामसाल राजस्व अधिलेख में अमल परामर्श करें। वादी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में पूर्वगत के आदेशों का खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01-06-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़

178/10
03/06/2022

